

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-16122025-268544
SG-DL-E-16122025-268544

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 389]	दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 15, 2025/अग्राहायण 24, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 381
No. 389]	DELHI, MONDAY, DECEMBER 15, 2025/AGRAHAYANA 24, 1947	[N. C. T. D. No. 381

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

मंडलीय आयुक्त का कार्यालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना
दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2025

फा0 सं0 1(32)/विधिक शाखा/राजस्व विभाग(मु0)/2025/90—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम 5) की धारा 93 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी समस्त पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा प्रत्येक राजस्व जिले के उपायुक्त/कलेक्टर को उक्त संहिता की धारा 92 के अंतर्गत महा-अधिवक्ता की सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
नीरज सेमवाल, सचिव (राजस्व) एवं मंडलीय आयुक्त

**OFFICE OF SECRETARY REVENUE-CUM-DIVISIONAL COMMISSIONER
(REVENUE DEPARTMENT)
NOTIFICATION**

Delhi, the 15th December, 2025

F. No. 1(32)/Legal Branch/Revenue HQ/2025/90— In exercise of the powers conferred by Section 93 of the Code of Civil Procedure, 1908 (Act 5 of 1908), and in supersession of all previous notifications issued in this regard, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints the Deputy Commissioner / Collector of each revenue district as the competent authority to exercise all the powers of the Advocate-General under Section 92 of the said Code, within their respective jurisdictions

By Order and in the Name of Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
NEERAJ SEMWAL, Secy. (Revenue)–cum–
Divisional Commissioner